भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *360

(जिसका उत्तर, शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018/19 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

सामाजिक क्षेत्र संबंधी योजनाओं का वित्तपोषण

***360. श्री गौरव गोगोईः**

श्री बलभद्र माझीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सामाजिक क्षेत्र संबंधी अनेक योजनाओं की वित्तपोषण पद्धति को संशोधित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं पर केन्द्र सरकार की संशोधित वित्तपोषण पद्धति पर सहमत हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र संबंधी योजनाओं पर केन्द्र सरकार की संशोधित वित्तपोषण पद्धति पर आपत्ति जताई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की वास्तविक चिंताओं की ओर ध्यान देती है तथा हिस्सेदारी की पूर्व पद्धति पुनः अपनाये जाने पर विचार करती है ताकि राज्य के अधिक संसाधन राज्य संबंधी योजना के लिये उपलब्ध हों तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

सामाजिक क्षेत्र संबंधी योजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में श्री गौरव गोगोई और श्री बलभद्र माझी द्वारा पूछे गए दिनांक 10 अगस्त, 2018 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *360 (20वां स्थान) के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी, हां। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाकर 28 स्कीमों में, मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, नामतः (i) आधारभूत स्कीमें (6 स्कीमें), (ii) प्रमुख स्कीमें (20 स्कीमें) और (iii) वैकल्पिक स्कीमें (2 स्कीमें)। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित पुनर्संरचित स्कीमों की वित्तपोषण पद्धति निम्नवत है:

- आधारभूत स्कीमें: पहले की वित्तपोषण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं।
- प्रमुख स्कीमें: पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों और हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों के लिए 90% व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है और शेष 10% राज्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। बाकी राज्यों के लिए- केन्द्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है।
- वैकल्पिक स्कीमें: पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिमालय क्षेत्र के राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा 80% और राज्यों द्वारा 20% वहन किया जाता है। बाकी राज्यों के लिए यह अनुपात 50:50 है। तथापि, ऊपर दर्शाए गए हिस्सेदारी के सभी पैटर्न इस परन्तुक के अध्यधीन हैं कि यदि केन्द्र का भाग हिस्सेदारी पैटर्न में दर्शाई गई सीमा से पहले ही कम है तो केन्द्र का हिस्सा उस स्तर तक ही सीमित रहेगा।

(ख) और (ग): केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक उप-समूह गठित किया गया था। इस उप-समूह ने राज्यों से परामर्श किया। राज्यों के विचार मोटे तौर पर निम्नानुसार थे:

- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के प्रसार का हल निकाला जाना चाहिए। कौन सी स्कीम कार्यान्वित की जानी है, इस पर निर्णय लेने का राज्यों का अधिकार होना चाहिए।
- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों में आबंटन के संबंध में वर्ष दर वर्ष होने वाली अनिश्चितता का निवारण किया जाना चाहिए। वर्ष के आरंभ में, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों में राज्यों को समग्र रूप से आबंटित निधियां ज्ञात होनी चाहिएं और यह अनुमान के मुताबिक होनी चाहिएं।
- वित्तपोषण पद्धति इस कदर कष्टदायक नहीं होनी चाहिए कि केन्द्रीय निधियों को प्राप्त करने में राज्य कठिनाई महसूस करें। कमजोर राजस्व आधार वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता है।
- स्कीम की अभिकल्पना में इसके क्रियान्वयन में सुनम्यता का प्रावधान होना चाहिए। केन्द्र को इसके परिणामों को मॉनिटर करना चाहिए और इसके क्रियान्वयन को राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।
- एफएफसी अंतरण का मतलब शर्त रहित निधि है। सीएसएस को इस सुनम्यता को नष्ट करने वाला माध्यम नहीं बनना चाहिए।
- किश्तों को जारी करने की प्रक्रिया सरलीकृत होनी चाहिए।

- पूर्ववर्ती वर्षों में सीएसएस के अंतर्गत प्रारंभ की गई कुछ अपूर्ण परियोजनाओं का वित्तपोषण चालू वर्ष से बन्द किया गया है, जिसके समाधान की आवश्यकता है।
- सीएसएस के क्रियान्वयन में राज्यों की समस्या और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक मंच (नीति-जैसा) की आवश्यकता है।
- व्यय आधारित मानीटरिंग और निधियों को जारी करने के स्थान पर परिणाम आधारित मानीटरिंग और निधियों को जारी करने के रूप में इसमें परिवर्तन होना चाहिए।

(घ) और (ङ): 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का अनुसरण करते हुए, राज्यों को अंतरण 32% से बढ़कर 42% हो गया है, जिससे केन्द्र की तुलना में राज्य के पास संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है। इसके अलावा, सीएसएस की वित्तपोषण पद्धति में संशोधन के बाद प्रत्येक सीएसएस में उपलब्ध फ्लेक्सी फण्ड का स्तर 10% से बढ़कर 25% हो गया है। यह राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और नवपरिवर्तन लाने में समर्थ बनाने के लिए किया गया है। अम्ब्रेला कार्यक्रम के अन्तर्गत यह फ्लेक्सी फण्ड दक्षता और प्रभावशीलता को बेहतर करने के लिए है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत हिस्सेदारी की पूर्व पद्धति को पुनः अपनाया जाना वास्तव में युक्तिसंगत नहीं है।

*****